



INDIA NON JUDICIAL



Government of Uttar Pradesh

IN-UP41753929765854Y

e-Stamp

7774/2026

Certificate No. : IN-UP41753929765854Y ₹24,79,400

Certificate Issued Date : 04-May-2026 12:47 PM

Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ QAISERBAGH/ UP-LKN

Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0177594998271604Y

Purchased by : LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

Description of Document : Article 23 Conveyance

Property Description : VILL-GAHLWARA,GATA NO-530 SA,TOTAL AREA-1.2650 HEC LUCKNOW.

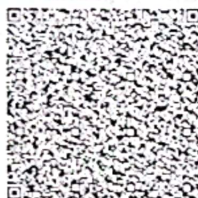
Consideration Price (Rs.) :

First Party : SHRI KRISHNA

Second Party : LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

Stamp Duty Paid By : LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

Stamp Duty Amount(Rs.) : 24,79,400
(Twenty Four Lakh Seventy Nine Thousand Four Hundred only)



Please write or type below this line

IN-UP41753929765854Y



नि.अं श्री केशव

श्री केशव कुमार
नायक तहसीलदार/संचालक
लखनऊ

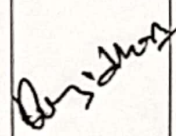
FHI 0001003066

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at www.shcils.org or using e-Stamp Mobile App or Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of this certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



Scanned with OKEN Scanner

100 Sl. No.	Bahi	Khand	Pages	Date of Registration	Signature	Name & Address of Presenter	Newly Passport Size Photograph
1	2	3	4	5	6	7	8
						श्री कृष्ण उर्फ श्रीकेशन पुत्र राम स्वरूप निवासी - गहलवार काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।	
						लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र श्री अंजनी कुमार शुक्ला (सहायक चकबन्दी अधिकारी/नायब तहसीलदार) पता- लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।	
						गवाह-01 श्री बृज भान सिंह (लेखपाल) पुत्र श्री अमर नाथ यादव पता- तह0 सरोजनीनगर, लखनऊ।	
						गवाह-02 श्री देशराज (लेखपाल) पुत्र श्री राम सागर पता- लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।	



विक्रय विलेखपत्र का विवरण

1. जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट - 70,00,000/- (प्रति हे०)
 2. जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित दर (प्रति हे०) :- 70 लाख का 04 गुणा = 2,80,00,000/- (प्रति हे०)
 3. विक्रय मूल्य (भूमि+परिसम्पत्ति - 3,54,20,000/-
(वृक्षों को छोड़कर) का मूल्य)
 4. मालियत रू० - 88,55,000/-
 5. जनरल स्टाम्प - 24,79,400/-
- स्टाम्प सं. डी IN-UP41753292765854Y व दिनांक 04-05-2026

विक्रय विलेख

6. भूमि का प्रकार - (कृषि)
7. ग्राम/मोहल्ला - गहलवारा
8. परगना व तहसील - काकोरी तहसील सरोजनीनगर
9. जनपद - लखनऊ

सम्पत्ति का विवरण

खसरा सं० 530स का कुल रकबा 1.2650हे० में से विक्रीत रकबा 1.2650हे०, अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग।

10. सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 1.2650हे०
11. सड़क की स्थिति- किसी भी सेगमेंट मार्ग पर स्थित नहीं है।
12. विक्रीत रकबा किसी रोड से सटा नहीं है और आबादी से 300 मी० दूरी पर स्थित है।
13. विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य है। विक्रय हेतु अनुज्ञा अंतर्गत धारा-98(1) उ०प्र० राजस्व संहिता कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या- 202615701041074654 आवेदक श्री कृष्ण उर्फ केशन पुत्र राम स्वरूप के नाम अर्पर जिलाधिकारी-महोदय, वित्त एवं राजस्व, लखनऊ के आदेश दिनांक 09.04.2026 के द्वारा क्रेता लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ के पक्ष में विक्रय करने की अनुमति प्राप्त की जा चुकी है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।



(Signature)
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/सं०च०अ०
ल०वि०प्रा०

भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का विवरण

14. परिसम्पत्ति (वृक्षों को छोड़कर) - नहीं है।

चौहद्दी खसरा संख्या- 530स

15. पूरब - गाटा संख्या - 610
16. पश्चिम - गाटा संख्या - 534
17. उत्तर - गाटा संख्या - 527
18. दक्षिण - गाटा संख्या - 607

19. विक्रेता का विवरण:-

श्री कृष्ण उर्फ श्रीकेशन पुत्र राम स्वरूप निवासी - गहलवारा, काकोरी, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश।

आधार नं० 4345 3715 1977 मो० नं० 7570979455 पैन नं० QVGPK8417N

20. क्रेता का विवरण:-

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत - वरुण विहार आवासीय योजना
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ
लखनऊ विकास प्राधिकरण
गोमती नगर, लखनऊ

द्वारा - श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र श्री अंजनी कुमार शुक्ला
पदनाम - सहायक चकबन्दी अधिकारी/नायब तहसीलदार
विभाग - लखनऊ विकास प्राधिकरण
जनपद - लखनऊ मो० - 9540244993
पैन संख्या - AAALL0016F

21. विक्रीत भूमि विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है, जो जुमला हर किस्म के इन्तकालात मिरल, रेहन व बय व हिवा, ऋण भार, कुर्की, जमानत, बन्धक, मुकदमा आदि से ग्रसित नहीं है, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति की भागीदारी नहीं है, और न ही किसी अन्य के पक्ष में विक्रय बैनामा किया गया है। उक्त आराजी को विक्रय करने का मुझ विक्रेता को पूर्ण मालिकाना हक हासिल है, जिसमें से रकबा 1.2650 हेक्टेयर भूमि विक्रीत की जाती है। अब वक्करत खुद के उसी किता भूमिधारी आराजी को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों व दाखिल-खारिज सहित पूरे होशो हवास में खूब सोच व समझकर, बिना किसी दबाव मय कुल हक व हकूक के बिना छोड़े किसी चीज व हक व जुज के बिल एवज मुबलिंग रुपये 3,54,20,000/- (रुपये तीन करोड़ चौवन लाख बीस हजार मात्र) जिसके आधे मुबलिंग रुपये 1,77,10,000/- (रुपये एक करोड़ सतहत्तर लाख दस हजार मात्र) होते हैं, बदस्त क्रेता लखनऊ विकास प्राधिकरण, वरुण विहार योजना गोमती नगर, लखनऊ द्वारा अधिकृत प्राधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र श्री अंजनी कुमार शुक्ला, सहायक चकबन्दी अधिकारी/नायब तहसीलदार लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में बय कामिल व फरोख्त कतई



[Signature]

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/संचालक
लखनऊ

वसूल पाकर कब्जा व दखल मालिकाना विक्रीत संक्रमणीय भूमि पर आज की तारीख से क्रेता का कब्जा वाकई बखूबी करा दिया, अब मुझ विक्रेता व वारिसान विक्रेता का कोई हक व दावा विक्रीत आराजी पर नहीं रह गया व विक्रय धनराशि क्रेता से बाकी नहीं रहा। अगर कोई शख्स दावा करे, तो व बिल्कुल नाजायज होवे और गर विक्रीत आराजी बयसुदा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व व अधिकारो से निकल जावे या कब्जा न मिले या अन्य किसी प्रकार से विवादित व भारग्रसित पायी जाये तो ऐसी तमाम सूरतो में क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा-खर्चा विक्रेता, उसके वारिसानों तथा दीगर जायदात चल व अचल से बजरिये अदालत वसूल कर लेवे, जिसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी। उपरोक्त विक्रीत भूमि से सम्बधित सभी हक व हकूक तथा स्वत्व, सारे अधिकार, विक्रेता ने क्रेता को Free From all encumbrances के अन्तरित कर दिए हैं अब क्रेता उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज सरकारी कागजातों में अपने नाम दर्ज करा लेवे विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

उपरोक्त भूमि किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत नहीं है। उक्त भूखण्ड का, जिसका वह लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में विक्रय कर रहा है, को पूर्व में किसी अन्य के पक्ष में कोई विक्रय विलेख निष्पादित या अन्य कोई विलेख नहीं किया गया है। और प्रज्जगत भूमि का स्वत्व उसी में निहित है तथा भूमि बन्धक रहित और भारमुक्त है।

लिहाजा यह बैनामा अपने होशो हवास में बिला दबाव नाजायज किसी शख्स के समक्ष गवाहान तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

22. तफसील आराजी बयसुदा:-

भूमिधरी आराजी खसरा सं० 530स का कुल रकबा 1.2650हे० में से विक्रीत रकबा 1.2650हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम-गहलवारा परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।

प्रस्तुत विक्रय विलेख उभय पक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात व उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। जिसकी समस्त जिम्मेदारी पक्षकारों की है तथा पक्षकारों की पहचान गवाहों द्वारा की जा रही है।

23. तफसील बसूलयाबी:-

कुल विक्रय मूल्य मु० रुपये 3,54,20,000/- (रुपये तीन करोड चौवन लाख बीस हजार मात्र) विक्रेता श्री कृष्ण पुत्र राम स्वरूप उपरोक्त को जरिए डिमांड ड्रॉफ्ट PNB Bank शाखा मुंशी पुलिया, लखनऊ विकास प्राधिकरण ड्रॉफ्ट संख्या 269089 दिनांक 28.04.2026 के द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है। विक्रेता को कुछ भी पाना शेष नहीं है। विक्रेता अथवा उसका कोई वारिसान भविष्य में उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए विभाग से कोई दावा नहीं करेगा और न ही इस सम्बन्ध में किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। विक्रय विलेख निष्पादन के पूर्व कभी भी यदि विक्रेता द्वारा किसी भी व्यक्ति या निकाय के पक्ष में विक्रीत आराजी के बाबत यदि कोई विक्रय विलेख, इकरारनामा-बय अथवा बंधक का निष्पादित किया जाना पाया जाए, तो वह शून्य होवेगा और विक्रेता लखनऊ विकास प्राधिकरण को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने को बाध्य होगा एवं विक्रेता द्वारा क्षतिपूर्ति की अदायगी में विफल होने की दशा में लखनऊ विकास प्राधिकरण जरिए अदालत उक्त



[Handwritten signature]

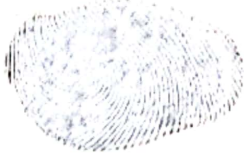
क्षतिपूर्ति की वसूली भू-राजस्व की भाँति करने को हकदार होगा जिसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त आवासीय योजना बनते समय अगर पैमाईश में क्षेत्रफल कम पाया जाता है अथवा भुगतान गलती से अधिक धनराशि का हो जाता है और विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं लौटाता है तो 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भू-राजस्व की भाँति लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को विक्रेता से वसूलने का अधिकार होगा। यह भी उक्त विक्रय से प्राप्त धनराशि पर आयकर के नियमों के अनुसार यदि आयकर बनता है तो उसकी विक्रय के फलस्वरूप प्राप्त धनराशि में से स्रोत पर ही नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी और इस पर विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान- लखनऊ।

दिनांक-.....2026

04/08

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/संयोजक
लखनऊ





आवेदन सं: 202601041019180

विक्रय पत्र

दही सं: 1

रजिस्ट्रेशन सं: 7774

वर्ष: 2026

प्रतिफल- 35420000 स्टाम्प शुल्क- 2479400 बाजारी मूल्य - 8855000 पंजीकरण शुल्क - 354200 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 354260

श्री श्री कृष्ण ठेक केयान ,
पुत्र श्री रामस्वरूप
व्यवसाय : अन्य
निवासी: गहलवाड़ा



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 04.05/2026 एवं 08:39:07 PM बजे
निर्बंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रति . विक्रम

उप निर्बंधक .सरोजनीनगर

लखनऊ

04/05/2026

ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

निर्बंधक लिपिक

04/05/2026





हस्ताक्षर विक्रेता

गवाह - 01

नाम - बृज भान सिंह (लेखपाल)
पिता का नाम - श्री अमर नाथ यादव
निवासी - तहसील-सरोजनीनगर, लखनऊ।

आधार संख्या- 5731 2177 9375
मोबाइल संख्या - 9648710607



Brij Bhan Singh

टाइपकर्ता

Sourabh
सौरभ
लखनऊ विकास प्राधिकरण

[Signature]

हस्ताक्षर प्रेमोन्नत प्रताप बुद्धा
नाथव तहसीलदार/सरोजनीनगर
लखनऊ

गवाह - 02

नाम - श्री देशराज (लेखपाल)
पिता का नाम - श्री राम सागर
निवासी - लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आधार संख्या- 6542 8459 4318
मोबाइल संख्या - 7081100818



[Signature]

प्रालेखक

[Signature]
श्री दान बहादुर पाठक
(एडवोकेट)
लखनऊ विकास प्राधिकरण
मो0 6386063529



श्री देशराज लेख(0, ...)

निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

व्यवसाय: नौकरी

[Handwritten signature]



रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर

[Handwritten signature]
प्रीति, विक्रम

उप निबंधक : सरोजनीनगर

लखनऊ

04/05/2026

शानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

निबंधक लिपिक लखनऊ

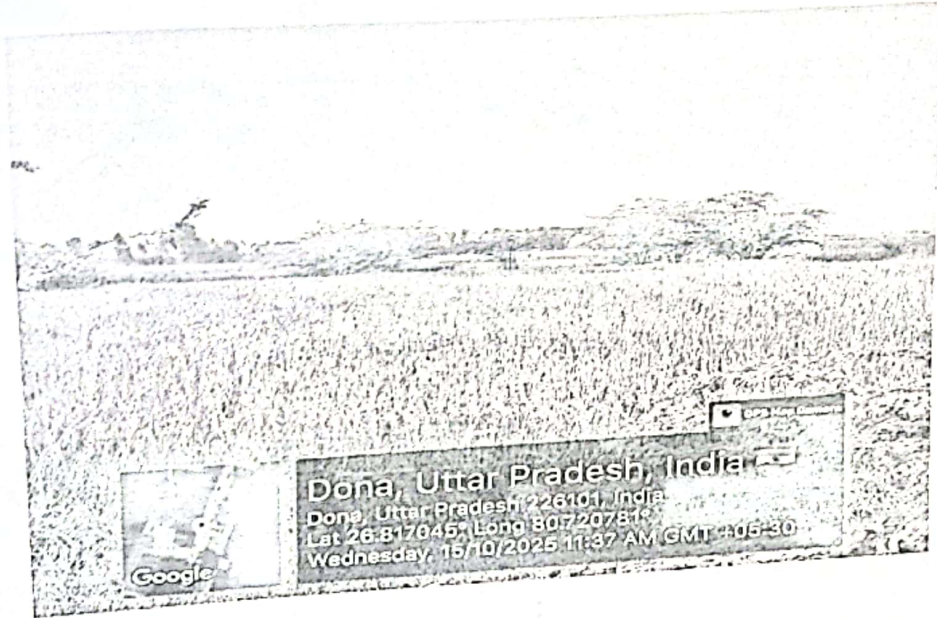
04/05/2026

ने भी। प्रत्यक्षतःभद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी :



विक्रीत सम्पत्ति का फोटो ग्राफ

खसरा सं० सं० 530स का कुल रकबा 1.2650हे० में से विक्रीत रकबा 1.2650हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम-गहलवारा, परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।



विक्रेता के हस्ताक्षर

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the seller.

केता के हस्ताक्षर
जाति-ब्राह्मण शुक्ला
नायब तहसीलदार/सं०च०३१०
ल०वि०प्रा०



आवेदन सं०: 202601041019180

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 7774

वर्ष: 2026

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजसुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रीता: 1

श्री श्री कृष्ण उर्फ केरन,

[SHRI KRISHNA

पुत्र श्री राममयराय

निवासी: गहलवावा

व्यवसाय: अन्य

पसकार द्वारा सत्यापित पैर XXXXXX 417N

क्रेता: 1



श्री लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
(नायब तहसीलदार),

[LUCKNOW DEVELOPMENT
AUTHORITY

”””

निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

व्यवसाय: नौकरी

पसकार द्वारा सत्यापित पैर XXXXXX 016F

ने निष्पादन स्वीकार किया। तिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

[Signature]

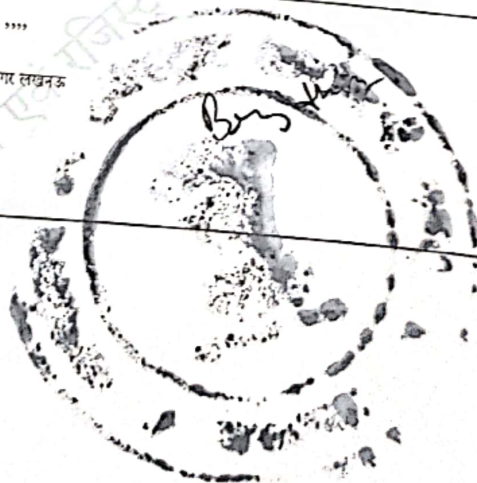


श्री बृजभान सिंह लेख0, ,,,,

निवासी: तह0 सरोजनी नगर लखनऊ

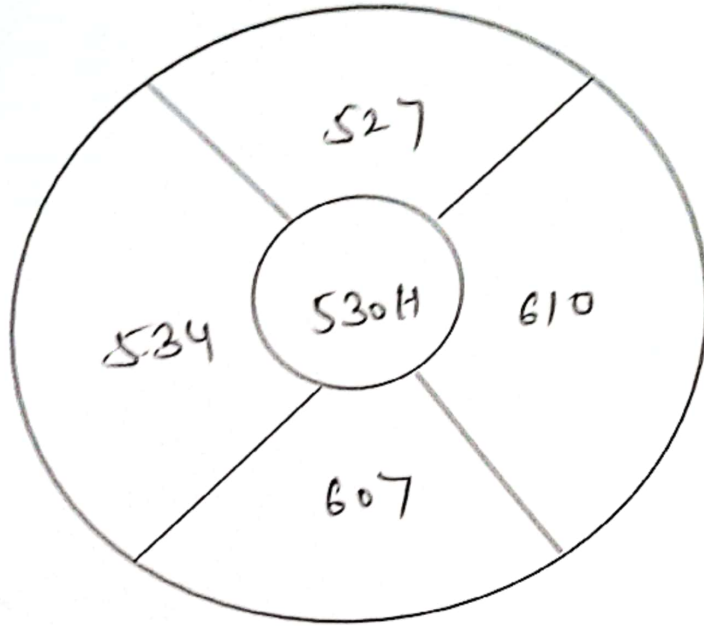
व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2



0 - 200 मीटर त्रिज्या का मानचित्र

खसरा सं० 530स का कुल रकबा 1.2850 हे० में से विक्रीत रकबा 1.2850 हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम-गहलदारा परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।



विक्रेता के हस्ताक्षर

[Signature]

क्रेता के हस्ताक्षर
क्रेता का नाम/पता
क्रेता का पता/क्रेता का पता



आवेदन सं०: 202601041019180

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 15328 के पृष्ठ 73 से 92 तक क्रमांक 7774 पर दिनांक 04/05/2026 को
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रति . विक्रम

उप निबंधक : सरोजनीनगर

लखनऊ

04/05/2026

सरोजनीनगर
लखनऊ

